बिल का सारांश

कृषि कानून रिपील बिल, 2021

- कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 29 नवंबर, 2021 को लोकसभा में कृषि कानून रिपील बिल, 2021 पेश किया।
- **रिपील**: बिल सितंबर 2020 में संसद में पारित तीन कृषि कानूनों को रिपील (निरस्त) करता है। ये कानून हैं: (i) मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता एक्ट, 2020, (ii) किसान उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) एक्ट, 2020, और (iii) अनिवार्य वस्तुएं (संशोधन) एक्ट, 2020। इन कानूनों को निम्नलिखित के लिए लागू किया गया था: (i) कॉन्ट्रैक्ट खेती के लिए फ्रेमवर्क बनाना, (ii) विभिन्न राज्यों के कृषि उत्पाद मार्केटिंग कमिटी (एपीएमसी) कानूनों के अंतर्गत अधिसूचित बाजारों के बाहर कृषि उत्पादों के निर्बाध व्यापार को आसान बनाना, और (iii) सिर्फ असामान्य परिस्थितियों, जैसे युद्ध, अकाल और असाधारण महंगाई में कुछ खाद्य सामग्रियों की सप्लाई को रेगुलेट करना। उल्लेखनीय है कि जनवरी 2021 में सर्वोच्च न्यायालय ने तीनों कृषि कानूनों को लागू करने पर स्टे लगा दिया था।

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) की स्वीकृति के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।

शशांक श्रीवास्तव
shashank@prsindia.org

29 नवंबर, 2021